दिनांक 15.05.2025
प्रेस विज्ञप्ति 25/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद खीरी/थाना सम्पूर्णानगर

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 15.05.2025 को थाना सम्पूर्णानगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गोविन्दनगर गन्ना सेन्टर के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त राज उर्फ राजू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सम्पूर्णानगर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सम्पूर्णानगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– राज उर्फ राजू निवासी ग्राम टाटरगंज थाना हजारा जनपद पीलीभीत।

जनपद कानपुर देहात/थाना रूरा

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 14.05.2025 को थाना रूरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जनपद फरीदाबाद हरियाणा प्रान्त से पुरस्कार घोषित अभियुक्त अकबर को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना अकबरपुर पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना रूरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अकबर निवासी रेवर पोस्ट कुन्टीपीसी थाना कटकम सांडी जनपद हजारीबाग, झारखण्ड हाल पता बटकलपुल फ्लाई ओवर के नीचे 21सी पत्थर मार्केट जनपद फरीदाबाद, हरियाणा।

जनपद सहारनपुर/थाना कुतुबशेर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटनाओं का अनावरण**
- **चोरी के भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण**
- **चोरी करने के उपकरण आदि बरामद**

दिनांक 15.05.2025 को थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1–सद्दाम 2–वाजिद को गिरफ्तार कर चोरी की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के भारी मात्रा में पीली–सफेद धातु के आभूषण, चोरी करने के उपकरण आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कुतुबशेर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटनायें कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तो से बरामद आभूषण उक्त चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त सद्दाम के विरूद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानों पर हत्या, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 01 दर्जन अभियोग व अभियुक्त वाजिद के विरूद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानों पर चोरी आदि के लगभग आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सद्दाम निवासी मौहल्ला इकराम कस्बा व थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर हाल पता मौहल्ला मानकमऊ थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

2–वाजिद निवासी मौहल्ला नसीर कालौनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1—चोरी के भारी मात्रा में पीली—सफेद धातु के आभूषण।

2—चोरी करने के उपकरण आदि।

जनपद मुजफ्फरनगर/थाना पुरकाजी

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 कार**
- **03 हजार 300 रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 15.05.2025 को थाना पुरकाजी व थाना भोपा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम बढीवाला से जिन्दावाला जाने वाले रास्ते के पास बदमाशों की घेराबंदी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में 02 अभियुक्त 1—फरमान 2—जमशेद उर्फ मुल्ला घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गये, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 01 कार, 03 हजार 300 रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त जमशेद उर्फ मुल्ला के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों पर चोरी, सीएस एक्ट, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के लगभग 01 दर्जन अभियोग व अभियुक्त फरमान के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर, मेरठ के विभिन्न थानों पर चोरी, सीएस एक्ट, विद्युत अधिनियम, आर्म्स एक्ट के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना पुरकाजी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–फरमान निवासी चार खम्बे वाली रोड नूरनगर की पुलिया थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ।

2–जमशेद उर्फ मुल्ला निवासी नदीम कालोनी थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–01 कार।

2–03 हजार 300 रूपये नगद।

3–02 अवैध तमंचा मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

कमिश्नरेट आगरा/थाना लोहामंडी

- **पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 ऑटो बरामद**

दिनांक 14/15.05.2025 की रात्रि थाना लोहमंडी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बैरियर चेकिंग के दौरान बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त साहिल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 ऑटो बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट आगरा के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या का प्रयास आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना लोहामंडी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–साहिल निवासी रोडवेज कॉलोनी थाना जगदीशपुरा, आगरा।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 ऑटो।

जनपद फिरोजाबाद/थाना शिकोहाबाद

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **छिनैती के पीली धातु के चैन, 01 मोबाइल फोन**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 15.05.2025 को थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चेकिंग के दौरान भगवन्त वाले बाग तिराहा के पास बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में 02 अभियुक्त 1–अरबाज 2–जफरूद्दीन घायल हो गये, जिन्हे गिरफ्तार किया गया। एक अन्य अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से छिनैती के पीली धातु के चैन, 01 मोबाइल फोन, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनके विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद पर हत्या का प्रयास, छिनैती, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना शिकोहाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—अरबाज निवासी मियां बाजार कस्बा व थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद।

2—जफरूद्दीन निवासी मियां बाजार कस्बा व थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगी

1—छिनैती के पीली धातु के चैन, 01 मोबाइल फोन।

2—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

3—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मुरादाबाद/थाना मझोला

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 किलो 250 ग्राम अवैध चरस**
- **चोरी के 02 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 15.05.2025 को थाना मझोला पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 02 अभियुक्तों 1—आजाद 2—मो0 सजर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 02 किलो 250 ग्राम अवैध चरस, चोरी के 02 दो पहिया वाहन बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिनमें हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त आजाद के विरूद्ध जनपद मुरादाबाद के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 13 अभियोग व अभियुक्त मो0 सजर के विरूद्ध जनपद मुरादाबाद के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, डकैती, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 14 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मझोला पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—आजाद निवासी गांगन वाली मैनाठेर थाना मझोला जनपद मुरादाबाद।

2—मो0 सजर निवासी करनपुर थाना पाकबडा जनपद मुरादाबाद।

बरामदगी

1–02 किलो 250 ग्राम अवैध चरस।

2–चोरी के 02 दो पहिया वाहन।

- **जनपद हरदोई/थाना मझिला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हरदोई पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना मझिला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/504/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त संदीप उर्फ चरनू को सश्रम आजीवन कारावास व 22 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बहराइच/थाना रिसिया (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तो को 20–20 वर्ष कठोर कारावास की सजा व 51–51 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बहराइच पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना रिसिया पर पंजीकृत अभियोग में धारा 6 पॉक्सो एक्ट व 342 भादवि के अन्तर्गत 02 अभियुक्तों 1–आजाद 2–अख्तर अली को 20–20 वर्ष कठोर कारावास व 51–51 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

————